

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर।

(जिला राजस्व कार्यालय)

दूरभाष संख्या :-(06432-232730)

ई-मेल:- (acdeoghar2010@gmail.com)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

देवघर जिला के देवघर, देवीपुर एवं मधुपुर अंचल अंतर्गत 220 के0वी0 जसीडीह से गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

SL. NO.	NAME OF ANCHAL	NAME OF VILLAGE	THANA NO.	KHATA NO.	PLOT NO.	AREA OF GM (JJ) IN HECTARE
1	DEOGHAR	KODADIH	28	37	549	0.0393
					355	0.1670
2	DEVIPUR	KENDUA	169	62	891	0.2630
3		CHITARPUR	91	30	956	0.3180
					257	0.0130
4		PHUTABANDH	90	21	68	0.0050
5		KHIRUADIH	56	20	37	0.1070
					21	0.2560
6		MURATARI	31	8	40(PI)	1.3728
					40(PII)	0.4531
					40(PIII)	0.2909
7		BAGHMARA	59	2	65	0.3624
8	LAMBA	27	39	589	0.4510	
9	PINDARI	22	29	188	0.4470	
10	MADHUPUR	MOHANADIH	72	8	16	0.0220
					3	0.0030
Total						4.5705

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी में कुल रकवा 4.5705 हे0 में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अपर समाहर्ता

देवघर

उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापक 2454/रा0, देवघर, दिनांक 08-05-18

प्रतिलिपि : विद्युत अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड उर्जा संचरण लिमिटेड, संचरण अंचल देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अपर समाहर्ता

देवघर

उपायुक्त,
देवघर।